आयोजनेत्तर- राज्य सेक्टर

संख्या-22/2016-907 /चौदह-4-2016-26/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-60-आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के रूप में 10 नये वाहनों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 82.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-559/पी0ए0/5-8-3 दिनांक 14.03.2016, पत्र सं0-ब-198/21-5(1)/2015-16 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्र सं0-ब-205/21-5(1) दिनांक 29.03.2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान सं0-60 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-01-001-04-अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत हो रही बचत में से रू0 82.00 लाख का वित्त विभाग के आदेश सं0-793 दिनांक 31.03.2016 से पुनर्विनियोजित धनराशि तथा पुनर्विनियोजित आदेश संख्या-907ए/चौदह-4-2016-26/2016 दिनांक 31मार्च, 2016 द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 82.00 लाख (रूपये बयासी लाख मात्र) जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात विभाग के विभिन्न कार्यालयों के निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 10 नये वाहन माडल महेन्द्रा बोलेरो एस.एल.ई. बी.एस.4 (ए.सी.) के क्रय पर व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)
राजस्व लेखा -	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनेत्तर	
01-वानिकी	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
04-अधिष्ठान	
14-गाडियों का क्रय	**8200**
योग-	**8200**

(रू0 बयासी लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/ मैनुअल और फाइनन्शियल हैण्ड बुक के नियम अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन को वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए इसका व्यय नयी मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय। अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर

http://shasanadesh.up.nic.in

नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि में से केवल उक्त 10 वाहनों के क्रय के पश्चात अवशेष धनराशि तत्काल राजकीय कोष में सुसंगत मदों में जमा की जायेगी/समर्पित की जायेगी।

5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं/559-0पी14.03.2016 दिनांक 3-8-5/0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये निष्प्रयोज्य वाहनों के विवरणानुसार ही नये वाहन क्रय किये जायेगे।

6- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये और स्वीकृतियॉ/ आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा।

7- उक्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि जिन मदों से पुनर्विनियोग हो रहा है, उसमें और मॉग नहीं की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-907 (1)/चौदह-4-2016-26/2016 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-3
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in